

क्रमांक :

/ राजस्व / 02 / दिनांक

संपरिवर्तन आदेश

वर्द्धमान शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष सुभाष चन्द्र खीचड़ पुत्र श्री भागीरथ सिंह जाति जाट निवासी गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर के आवेदन पर खातेदारी अभिधति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन (नियम 1992 के नियम 8 (2) (8) (3)) के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम - वर्द्धमान शिक्षण संस्थान जरिये
पिता/पति के नाम सहित पूरा पता - अध्यक्ष सुभाष चन्द्र खीचड़ पुत्र
श्री भागीरथ सिंह जाति जाट
निवासी गोकुलपुरा तह0 व जिला
सीकर
 2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या
अनुसूचित जनजाति का सदस्य है - नहीं
संपरिवर्तित भूमि का व्यौरा -
 - (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम - ग्राम व ग्राम पंचायत गोकुलपुरा
तहसील सीकर
 - (ख) भूमि का खसरा संख्या एवं प्रत्येक खसरा - 1228/540 रकबा 0.20 हैक्टर
नम्बर का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
 - (ग) भूमि का खसरा सं. व प्रत्येक खसरा सं. का - 1228/540 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण
क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित
क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में) यानि 2000 वर्गमीटर
- टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित
भूमि की दस्तावेजों पर स. नं. के संगत
भारत के संवैधानिक रूप से सत्यापित प्रति
संलग्न है। प्रति संलग्न है।
3. संपरिवर्तन का प्रयोजन - वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
 4. संदेय प्रमाणित की जाये - 200 वर्गमीटर तक 4 रु. प्रति वर्गमीटर से
1800 वर्गमीटर तक 8 रु. प्रति वर्गमीटर से
 5. चालान की संख्या तथा तारीख सहित - चालान संख्या 115 व 116 दिनांक 10.05.06
जमा कराई गई भूमि का रकम के द्वारा रुपये 19000 राज्य कोष में जमा हुए
 6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित - चालान सं. 115 दिनांक 10.05.06 के द्वारा
शारित यदि कोई हो की जमा कराई गई - रुपये 3800 जमा कराये गये
रकम
 7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित - कोई नहीं
व्याज यदि कोई हो, पगे जना पचाई

अध्यक्ष
वर्द्धमान शिक्षण संस्थान
गोकुलपुरा (सीकर)

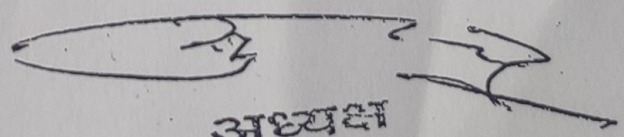
क्रमांक :

/राजस्व/02/दिनांक

संपरिवर्तन आदेश

वर्द्धमान शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष सुभाष चन्द्र खोचड़ पुत्र श्री भागीरथ सिंह जाति जाट निवासी गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर के आवेदन पर खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का संजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन (नियम 1992 के नियम 8 (2) (8) (3)) के अर्वात्त अकृषि प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम - वर्द्धमान शिक्षण संस्थान जरिये
पिता/पति के नाम सहित पूरा पता - अध्यक्ष सुभाष चन्द्र खोचड़ पुत्र
श्री भागीरथ सिंह जाति जाट
निवासी गोकुलपुरा तह0 व जिला
सीकर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या - नहीं
अनुसूचित जनजाति का सदस्य है
- संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा -
- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम - ग्राम व ग्राम पंचायत गोकुलपुरा
तहसील सीकर
- (ख) भूमि का खसरा संख्या एवं प्रत्येक खसरा - 1225/598 रकबा 0.08 हैक्टर
नम्बर का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
- (ग) भूमि का खसरा सं. व प्रत्येक खसरा सं. का - 1225/598 रकबा 0.08 हैक्टर सम्पूर्ण
क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित
क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में) यानि 800 वर्गमीटर
- विशेषता :- अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित - प्रति सालगन है ।
भूमि को दर्शाते हुए रा. नक्शों के सुसंगत
भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति
संलग्न है ।
3. संपरिवर्तन का परियोजन - वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
4. सहाय प्रीमियम की दर - 200 वर्गमीटर तक 4 रु. प्रति वर्गमीटर से
1800 वर्गमीटर तक 8 रु. प्रति वर्गमीटर से
5. चालान की संख्या तथा तारीख सहित - चालान संख्या 123 व 124 दिनांक 03.05.06
जमा कराई गई प्रीमियम की रकम के द्वारा रुपये 2800 राज्य कोष में जमा हुए
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित - चालान सं. 123 दिनांक 03.05.06 के द्वारा
संश्लिष्ट यदि कोई हो की जमा कराई गई रुपये 1400 जमा कराये गये
रकम
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित - कोई नहीं
व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई
गई रकम



अध्यक्ष
वर्द्धमान शिक्षण संस्थान
गोकुलपुरा (सीकर)

क्रमांक :

/राजस्व/02/वित्तिक

संप्रिवर्तन आदेश

वर्तमान शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष सुभाष चन्द्र प्रधान पति श्री भागीरथ सिंह जाति कुमर निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर के आदेशन पर खातेदारों अधिपति या धारक या अधिकारी को राज्यस्थान में राजस्व प्राप्ति क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन में राज्यस्थान संप्रिवर्तन नियम 1992 के नियम 8 (2) (8) (3) के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिए इनके द्वारा संप्रिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1. आवेदक खातेदार/अधिकारी का नाम - वर्तमान शिक्षण संस्थान जरिये
पिता/पति के नाम सहित पूरा पता - अध्यक्ष सुभाष चन्द्र प्रधान पति श्री भागीरथ सिंह जाति कुमर निवासी गोकुलपुरा तहसील जिला सीकर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है - नहीं
- संप्रिवर्तित भूमि का व्योरा -
- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम - ग्राम व ग्राम पंचायत गोकुलपुरा तहसील सीकर
- (ख) भूमि का खसरा संख्या एवं प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल (हेक्टर में) - 1225/538 रकबा 0.41 हेक्टर
- (ग) भूमि का खसरा सं. व प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संप्रिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या सैकड़ों में) - 1225/538 रकबा 0.41 हेक्टर समूचा यानि 4100 वर्गमीटर

टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजनों के लिए संप्रिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए रा. नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से संवर्णित प्रति संलग्न है।

3. संप्रिवर्तन का परियोजन - खासियत/प्रयोजन
4. सदस्य प्रीमियम की दर - 2000 वर्गमीटर तक 4 रु. प्रति वर्गमीटर, 4100 वर्गमीटर तक 8 रु. प्रति वर्गमीटर, 8100 वर्गमीटर से अधिक 12 रु. प्रति वर्गमीटर
5. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कथाई गई प्रीमियम की रकम - चालान संख्या 121 व 122 दिनांक 10/06/2020 के तारीख समय 30300 रु. जमा की जा चुकी है
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शांति यदि कोई हो की जमा कथाई गई रकम - चालान सं. 121 दिनांक 10/06/2020 के तारीख समय 10100 रु. जमा कराये गये
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कथाई - कोई नहीं



अध्यक्ष
वर्तमान शिक्षण संस्थान
गोकुलपुरा (तहसील)

संपरिवर्तन आदेश

वर्तमान शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष सुभाषचन्द्र खीचड पुत्र श्री भागीरथ सिंह जाति जाट नियासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधाते में धारित कृषि भूमि का राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये राजस्व भू राजस्व संपरिवर्तन (निगम 1992 के नियम 8(2)(B)(3)) के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं

- आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम - वर्तमान शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष
पिता/पति के नाम सहित पूरा पता - सुभाषचन्द्र खीचड पुत्र श्री भागीरथ सिंह
जाति जाट नियासी गोकुलपुरा तहसील
व जिला सीकर
- क्या आवेदक अनुसूचित जाति या
अनुसूचित जनजाति का सदस्य है - नहीं
संपरिवर्तित भूमि का व्यौरा -
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम - ग्राम व ग्राम पंचायत गोकुलपुरा तह. सीकर
(ख) भूमि का खसरा संख्या व प्रत्येक - 1227/540 रकबा 0.20 हैक्टर
खसरा न. का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(ग) भूमि का खसरा सं. व प्रत्येक खसरा सं. - खसरा न. 1227/540 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण
का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए - यानि 2000 वर्गमीटर
संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में)

प्रमाणों - अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित - प्रति संलग्न है।

गाम को दर्शाते हुए सो नक्शे के सुसंगत भाग की

संगत रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

- संपरिवर्तन का प्रमाण - वणिज्यिक प्रयोजनाय
संपरिवर्तन के दर - 200 वर्ग मीटर तक 4% प्रति 400 मीटर तक 5%
400 वर्ग मीटर तक 6% 600 वर्ग मीटर तक 7%
600 वर्ग मीटर तक 8% 800 वर्ग मीटर तक 9%
800 वर्ग मीटर तक 10% 1000 वर्ग मीटर तक 11%
1000 वर्ग मीटर तक 12% 1200 वर्ग मीटर तक 13%
1200 वर्ग मीटर तक 14% 1400 वर्ग मीटर तक 15%
1400 वर्ग मीटर तक 16% 1600 वर्ग मीटर तक 17%
1600 वर्ग मीटर तक 18% 1800 वर्ग मीटर तक 19%
1800 वर्ग मीटर तक 20% 2000 वर्ग मीटर तक 21%
2000 वर्ग मीटर तक 22% 2200 वर्ग मीटर तक 23%
2200 वर्ग मीटर तक 24% 2400 वर्ग मीटर तक 25%
2400 वर्ग मीटर तक 26% 2600 वर्ग मीटर तक 27%
2600 वर्ग मीटर तक 28% 2800 वर्ग मीटर तक 29%
2800 वर्ग मीटर तक 30% 3000 वर्ग मीटर तक 31%
3000 वर्ग मीटर तक 32% 3200 वर्ग मीटर तक 33%
3200 वर्ग मीटर तक 34% 3400 वर्ग मीटर तक 35%
3400 वर्ग मीटर तक 36% 3600 वर्ग मीटर तक 37%
3600 वर्ग मीटर तक 38% 3800 वर्ग मीटर तक 39%
3800 वर्ग मीटर तक 40% 4000 वर्ग मीटर तक 41%
4000 वर्ग मीटर तक 42% 4200 वर्ग मीटर तक 43%
4200 वर्ग मीटर तक 44% 4400 वर्ग मीटर तक 45%
4400 वर्ग मीटर तक 46% 4600 वर्ग मीटर तक 47%
4600 वर्ग मीटर तक 48% 4800 वर्ग मीटर तक 49%
4800 वर्ग मीटर तक 50%

संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल - 0.20 हैक्टर

संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल - 0.20 हैक्टर

संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल - 0.20 हैक्टर

संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल - 0.20 हैक्टर

संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल - 0.20 हैक्टर

संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल - 0.20 हैक्टर

संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल - 0.20 हैक्टर

23 22

अध्यक्ष
वर्तमान शिक्षण संस्थान
गोकुलपुरा (सीकर)

Winnifred

 $\frac{1}{5}$

Handwritten calculations for the subtraction of 23 from 122:

$$\begin{array}{r} 122 \\ - 23 \\ \hline 99 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1226 \\ - 230 \\ \hline 1000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9222 \\ - 230 \\ \hline 9000 \end{array}$$

P35- x10 su 67

2/1/2

— 01 / 05 / 06

4. 11. 2019

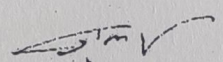
अध्यक्ष
वर्द्धमान शिक्षण संस्थान
गोकुलपुरा (सोकर)

श्री १२१७ गोकुल नगर १२१७ १२१७ श्री १२१७ गोकुल नगर १२१७

दिनांक २०३६
गोकुलपुरा, लेखी पञ्जीर



-3


सहसिलदार, सीकर

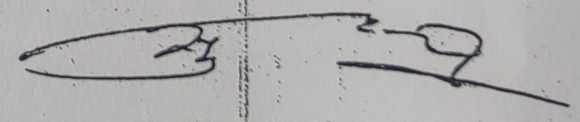
गोकुलपुरा
१२१७-१०९५६९

२१
०१/०५/०६

५ गोकुलपुरा

नोट - यह नकल इस कार्यालय से जारी सचिवरतन
आदेश क्रमांक ३६१-३६५ दिनांक १३-५-२००६
का तहत है।

गोकुलपुरा
सीकर



अध्यक्ष
वर्द्धमान शिक्षण संस्थान
गोकुलपुरा (सीकर)